भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 409
06 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबीडीएम के तहत आईडी बनाए जाना

409: श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य आईडी बनाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) हरियाणा राज्य में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कुल कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं; और
(ग) सरकार राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत जागरूकता और नामांकन बढ़ाने के लिए क्या पहल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग): भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की दृष्टि से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक का अनुदैर्ध्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) बनाने के लिए स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर स्वास्थ्य ऑकड़ों की अंत:क्रियाशीलता को सक्षम बनाने के लिए एक प्लेटफार्म का निर्माण करना है।

नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) संख्या (जिसे पहले स्वास्थ्य आईडी के रूप में जाना जाता था) बनाए गए हैं। एबीएचए एक यादृच्छिक 14-अंकीय संख्या के रूप में अद्वितीय स्वास्थ्य पहचानकर्ता है और इसे डिजिटल रूप से या हार्डकॉपी के रूप में जारी किया जा सकता है। आभा संख्या का सृजन स्वैच्छिक है।

दिनांक 24.01.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 52,50,15,110 आभा संख्या सृजित की गई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-क **में संलग्न है।**

आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इस योजना में नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डाटा के अनुसार गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों की पहचान कर व्यावसायिक श्रेणियों को वित्तीय सुरक्षा (स्वास्थ्य सुरक्षा) प्रदान किया जाता है।

दिनांक 29 जनवरी, 2024 तक, हरियाणा राज्य में लगभग 1.09 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हरियाणा राज्य सहित पूरे देश में पात्र लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इस योजना के तहत जागरूकता फैलाने और लाभार्थियों को उनकी पात्रता और अधिकारों के बारे में सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया और आउटरीच कार्यनीति का अनुपालन किया गया है। इस योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए आईईसी (सूचना, शिक्षा और संप्रेषण) गतिविधियों में आउटडोर मीडिया, विभिन्न रेलवे स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर डिजिटल डिस्प्ले, प्रमुख बस स्टेशनों पर घोषणाएं, यात्री ट्रेन ब्रांडिंग, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रेस कवरेज, प्रिंट मीडिया में ऑप-एड्स और विज्ञापन, रेडियो अभियान, दूरदर्शन के माध्यम से लाभार्थी प्रशंसा पत्रों का प्रसारण, बड़े पैमाने पर एसएमएस, पारंपरिक मीडिया आदि के माध्यम से संदेश प्रसारण आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक -क

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बनाए गए आभा कार्ड
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	437777
2	आंध्र प्रदेश	41231065
3	अरुणाचल प्रदेश	332675
4	असम	17402397
5	बिहार	18403298
6	चंडीगढ़	674965
7	छत्तीसगढ	19822176
8	दिल्ली	7918415
9	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	675191
10	गोवा	745858
11	गुजरात	42251129
12	हरियाणा	12288393
13	हिमाचल प्रदेश	5568590
14	जम्मू और कश्मीर	8596224
15	झारखंड	7133354
16	कर्नाटक	25611817
17	केरल	14866214
18	लद्दाख	370982
19	लक्षद्वीप	99540
20	मध्य प्रदेश	42837762
21	महाराष्ट्र	47116865
22	मणिपुर	587272
23	मेघालय	860215
24	मिजोरम	579740
25	नगालैंड	639014
26	ओडिशा	25973337
27	पुदुचेरी	1091093
28	पंजाब	8930344
29	राजस्थान	29095048
30	सिक्किम	399541
31	तमिलनाडु	9182178
32	तेलंगाना	17325015
33	त्रिपुरा	566640
34	उत्तर प्रदेश	66203035
35	उत्तराखंड	6387162
36	पश्चिम बंगाल	29787043
	कुल (क)	**511991364**
	अभी तक अपडेट नहीं किया गया (ख)	**13023746**
	कुल योग (क + ख)	**525015110**

*****